

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2018

विषय:-प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-2 के कार्यरत/तदर्थ चिकित्साधिकारियों को शासनादेश दिनांक 26.02.2015 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गोपन/एल-2(से0नि0)/एस0ए0 सी0पी0/2018/4407 दिनांक 15.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-2 के 06 कार्यरत/तदर्थ चिकित्साधिकारियों/पदधारकों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-794/सेक-2-पॉच-15-7(192)/2014, दिनांक 26.02.2015 एवं शासनादेश संख्या-1709/सेक-2-पॉच-15-7(192)/2014, दिनांक 21.09.2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रूनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को स्तम्भ-7, 8 एवं स्तम्भ-9 में उल्लिखित तिथि से क्रमशः 11 वर्षीय द्वितीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-3(रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600), 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-4 (रु0 37,400-67000 एव ग्रेड वेतन रु0 8700) एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन(वेतन बैण्ड-4(रु0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900) का लाभ एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है:-

क्रम0	वरिष्ठता क्रमांक	लेवल	चिकित्साधिकारी का नाम	योगदान तिथि (लो0से0आ0/ तदर्थ)	01 दिसम्बर 2008 से एस0ए0सी0पी0 के व्यवस्थान्तर्गत देय स्वीकृत वित्तीय स्तरोंनयन की तिथि (sanction Date)			
					प्रथम (04 वर्ष)	द्वितीय (11 वर्ष)	तृतीय (17 वर्ष)	चतुर्थ (24 वर्ष)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8692	L2	HIRDAY NARAIN SINGH PUNDHIR	29-05-91 14-11-90	N.A.	N.A.	01-12-2008	14-11-2014
2	11583	KHA2 L2	UZAIR ATHAR	24-06-2000	N.A.	24-06-2011	24-06-2017	N.A.
3	11794	L2	SUJAY PRASAD CHAUDHARY	24-02-03 13-01-1993	N.A.	N.A.	13-01-2010	13-01-2017
4	11805	L2	SHIVANAND TIWARI	24-02-03 22-08-92	N.A.	N.A.	22-08-2009	22-08-2016
5	11844	L2	ANAND KUMAR TANDON	24-02-03 29-08-92	N.A.	N.A.	29-08-2009	28-08-2016
6	12125	L2	SUBODH KUMAR	08-06-07 28-09-92	N.A.	N.A.	28-09-2009	28-09-2016


भवदीय,

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 1520 (1)/चि0-3-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूची में से उनके नियंत्रणाधीन सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य यथा अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन/निलम्बन की कार्यवाही उनके संज्ञान में हो, तो ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने से पूर्व शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
7. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2018

विषय:-प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-2 के सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मृत्यु आदि से संबंधित चिकित्साधिकारियों को शासनादेश दिनांक 26.02.2015 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गोपन/एल-2(से0नि0)/एस0ए0 सी0पी0/2018/4407 दिनांक 15.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-2 के 07 सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, मृत्यु आदि से संबंधित चिकित्साधिकारियों/पदधारकों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-794/सेक-2-पॉच-15-7(192)/2014, दिनांक 26.02.2015 एवं शासनादेश संख्या-1709/सेक-2-पॉच-15-7(192)/2014, दिनांक 21.09.2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रूनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को स्तम्भ-7, 8 एवं स्तम्भ-9 में उल्लिखित तिथि से क्रमशः 11 वर्षीय द्वितीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-3(रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600), 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-4 (रु0 37,400-67000 एव ग्रेड वेतन रु0 8700) एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन(वेतन बैण्ड-4(रु0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900) का लाभ एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है:-

क्रम0	वरिष्ठता कमांक	लेवल	चिकित्साधिकारी का नाम	योगदान तिथि (लो0से0आ0/तदर्थ)	01 दिसम्बर 2008 से एस0ए0सी0पी0 के व्यवस्थान्तर्गत देय स्वीकृत वित्तीय स्तरोंनयन की तिथि (sanction Date)			
					प्रथम (04 वर्ष)	द्वितीय (11 वर्ष)	तृतीय (17 वर्ष)	चतुर्थ (24 वर्ष)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5146	L2	CHANDRA PRABHA MITRA	25-06-84	N.A.	N.A.	N.A.	01-12-2008
2	5692	L2	RAGHVENDRA SINGH	21-08-84	N.A.	N.A.	N.A.	01-12-2008
3	9325	L2	SEEMA CHOUDHARY	31-03-94 22-04-91	N.A.	N.A.	01-12-2008	N.A.
4	11393	KA L2	SANJAY KUMAR KUREEL	08-04-1999	N.A.	08-04-2010	N.A.	N.A.
5	11675	L2	NEERAJ ARORA	24-02-03 28-08-90	N.A.	N.A.	01-12-2008	28-08-2014
6	11692	KA L2	JAI PRAKASH SINGH	17-3-2004 10-10-1990	N.A.	N.A.	01-12-2008	N.A.
7	11751	L2	AJIT KUMAR SAHAI	24-02-2003 09-11-90	N.A.	N.A.	01-12-2008	N.A.

भवदीय,

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 152/ (1)/चि0-3-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूची में से उनके नियंत्रणाधीन सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य यथा अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन/निलम्बन की कार्यवाही उनके संज्ञान में हो, तो ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने से पूर्व शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
7. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018

विषय:-प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सवर्ग में लेवल-3 के पदधारकों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गोपन/एल-3-एसएसीपी/कार्यरत,सेनि0,तदर्थ/17/1397, दिनांक 18.12.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के सेवारत/सेवानिवृत्त एवं तदर्थ रूप से कार्यरत/सेवारत/सेवानिवृत्त, चिकित्साधिकारियों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये लेवल-3 के 10 कार्यरत/सेवारत चिकित्साधिकारियों के विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन के प्रस्ताव पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-794/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 26.02.2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1709/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 21.09.2015 एवं शासनादेश सं0-3926/सेक-2-पाँच-16-7(192)/2014, दिनांक 19.12.2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रूनिंग कमेटी की संस्तुतियों का परीक्षण करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्न कुल 09 चिकित्साधिकारियों को पी0एम0एच0एस0 सवर्ग की 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को स्तम्भ-7,8 एवं 9 में उल्लिखित तिथि से क्रमशः 11 वर्षीय द्वितीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-3(रू.15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600)), 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-4 (रू0 37,400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700) एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन(वेतन बैण्ड-4(रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900) का लाभ एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है:-

क्रम0 सं0	वरिष्ठता कमांक	लेवल	चिकित्सा अधिकारी का नाम	योगदान तिथि (लो0से0आ0/ तदर्थ)	01 दिसम्बर 2008 से sacp के व्यवस्थान्तर्गत देय स्वीकृत वित्तीय स्तरोंनयन की तिथि (sanction Date)			
					प्रथम (04 वर्ष)	द्वितीय (11 वर्ष)	तृतीय (17 वर्ष)	चतुर्थ (24 वर्ष)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10096	L3	ANOOP KUMAR SHUKLA	28/05/94	N.A.	12-01-2008	28/05/11	N.A.
2	10325	L3	NEETA AGARWAL JAIN	29/06/97	N.A.	12-01-2008	29/ 6/2014	N.A.
3	10779	L3	KAMLESH CHANDRA	12-10-1998	N.A.	12-10-2009	12-10-2015	N.A.
4	11018	KA	MAHARAJ SINGH THAKUR	22/02/99	N.A.	22/ 2/2010	22/ 2/2016	N.A.
5	11131	L3	SANJAY KUMAR	11-02-1999	N.A.	11-02-2011	11-02-2016	N.A.
6	11353	KA	BISHNU DEV PRASAD	28-06-1999	N.A.	28/ 6/2011	28/06/16	N.A.


7	11548		L3	AWDHESH KUMAR SINGH	14-07-1999	N.A.	14/ 7/2010	14/07/16	N.A.
8	11582	KA1	L3	AJAY KUMAR VERMA	18-04-2000	N.A.	18/ 4/2011	18/04/17	N.A.
9	11582	KHA	L3	MAHENDRA CHANDRA PAL	01-09-2000	N.A.	sanctione wide go 22-02-17	01-09-2017	N.A.

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 1523 (1)/चि0-3-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

11. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूची में से उनके नियंत्रणाधीन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य यथा अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन/निलम्बन की कार्यवाही उनके संज्ञान में हो, तो ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने से पूर्व शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
17. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
19. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ज0 एल0 यादव)
अनु सचिव

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018

विषय:—प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में लेवल-3 के पदधारकों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गोपन/एल-3-एसएसीपी/कार्यरत,सेनि0,तदर्थ/17/1397, दिनांक 18.12.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के सेवारत/सेवानिवृत्त एवं तदर्थ रूप से कार्यरत/सेवारत/सेवानिवृत्त, चिकित्साधिकारियों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये लेवल-3 के 06 सेवारतनिवृत्त चिकित्साधिकारियों के विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन के प्रस्ताव पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-794/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 26.02.2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1709/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 21.09.2015 एवं शासनादेश सं0-3926/सेक-2-पाँच-16-7(192)/2014, दिनांक 19.12.2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों का परीक्षण करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्न कुल 05 चिकित्साधिकारियों को पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को स्तम्भ-7,8 एवं 9 में उल्लिखित तिथि से क्रमशः 11 वर्षीय द्वितीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-3(रू.15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600), 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन (वेतन बैण्ड-4 (रू0 37,400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700) एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरोंनयन(वेतन बैण्ड-4(रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900) का लाभ एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है:-

क्र0	वरिष्ठता क्रमांक	लेवल	चिकित्सा अधिकारी का नाम	योगदान तिथि (लो0से0आ0/ तदर्थ)	01 दिसम्बर 2008 से sacp के व्यवस्थान्तर्गत देय स्वीकृत वित्तीय स्तरोंनयन की तिथि (sanction Date)			
					प्रथम (04 वर्ष)	द्वितीय (11 वर्ष)	तृतीय (17 वर्ष)	चतुर्थ (24 वर्ष)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	4766	L3	SITA KATIYAR G L KATIYAR	26/05/81	N.A.	N.A.	N.A.	01-12-2008
2	5023	L3	BHARTI SHARMA MUKUL SHARMA	10-02-1984	N.A.	N.A.	N.A.	10-02-2012
3	6486	L3	MATA PRASAD MISRA KAILASH NATH MISRA	15/06/88	N.A.	N.A.	01-12-2008	15/ 6/2012
4	6966	L3	JAI PRAKASH RAI GOVIND RAI	22/12/87	N.A.	N.A.	01-12-2008	22/12/2011
5	7096	L3	BRIJ MOHAN GUPTA HIRA LAL GUPTA	19/11/87	N.A.	N.A.	01-12-2008	19/11/11


भवदीय,

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 1524 (1)/चि0-3-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूची में से उनके नियंत्रणाधीन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य यथा अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन/निलम्बन की कार्यवाही उनके संज्ञान में हो, तो ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने से पूर्व शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
7. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018

विषय:-प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में लेवल-3 के पदधारकों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गोपन/एल-3-एसएसीपी/कार्यरत,सेनि0,तदर्थ/17/1397, दिनांक 18.12.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के सेवारत/सेवानिवृत्त एवं तदर्थ रूप से कार्यरत/सेवारत/सेवानिवृत्त, चिकित्साधिकारियों को 11, 17 एवं 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये लेवल-3 के 12 तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों एवं तदर्थ रूप से सेवानिवृत्त 02 चिकित्साधिकारियों के विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन के प्रस्ताव पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-794/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 26.02.2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1709/सेक-2-पाँच-15-7(192)/2014, दिनांक 21.09.2015 एवं शासनादेश सं0-3926/सेक-2-पाँच-16-7(192)/2014, दिनांक 19.12.2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों का परीक्षण करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त 12 तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से 11 चिकित्साधिकारी एवं तदर्थ रूप से सेवानिवृत्त 02 चिकित्साधिकारियों में से 01 चिकित्साधिकारी, निम्न कुल 12 चिकित्साधिकारियों को पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की 11, 17 एवं 24 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को स्तम्भ-7,8 एवं 9 में उल्लिखित तिथि से क्रमशः 11 वर्षीय द्वितीय विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन (वेतन बैण्ड-3(रु.15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600), 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन (वेतन बैण्ड-4 (रु0 37,400-67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700) एवं चतुर्थ विशिष्ट वित्तीय स्तरान्णयन(वेतन बैण्ड-4(रु0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900) का लाभ एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	लेवल	चिकित्साधिकारी का नाम	योगदान तिथि (लो0से0आ0 /तदर्थ)	01 दिसम्बर 2008 से sacp के व्यवस्थान्तर्गत देय स्वीकृत वित्तीय स्तरान्णयन की तिथि (sanction Date)			
					प्रथम (04 वर्ष)	द्वितीय (11 वर्ष)	तृतीय (17 वर्ष)	चतुर्थ (24 वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9749	L3	RAM KUMAR KATIYAR	17/05/94 22/08/92	N.A.	N.A.	22/08/09	22/08/16
2	9986	L3	RAM SHISHYA RAM	18/05/94 19/09/1992	N.A.	N.A.	19/09/2009	19/09/16
3	9944	KA1	ANWAR SAJJAD	18/05/94 09/11/1990	N.A.	N.A.	01-12-2008	09-11-2014
4	10169	KA	MAHESH CHANDRA	24/04/95 17/09/92	N.A.	N.A.	17/09/09	17-09-2016
5	10185	L3	HARPAL SINGH	10/5/95 14/09/92	N.A.	N.A.	14/09/09	14/09/16
6	10472	L3	RIZWANA KHATOON	1/9/1997 14/12/91	N.A.	N.A.	14/12/2008	14/12/2015


7	11430		L3	VIKAS CHANDRA GUPTA	29/04/99 16/10/90	N.A.	N.A.	01-12-2008	16/10/2014
8	11671		L3	PUSHPLATA VERMA	24/02/03 25/12/90	N.A.	N.A.	01-12-08	25/12/14
9	11719		L3	SANJAY KUMAR SINGHAL	24/02/03 11/10/1992	N.A.	N.A.	11-10-2009	11-10-2016
10	11799		L3	SURENDRA KUMAR	24/02/03 19/09/92	N.A.	N.A.	19/09/09	19/09/16
11	11816		L3	KISHORE KUMAR MISRA	24/02/03 08/11/90	N.A.	N.A.	01-12-2008	08-11-2017
12	9780	KA	L3	SHIV BUX RAI	25/05/94 09/10/90	N.A.	N.A.	01-12-2008	N.A.

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 1525 (1)/चि0-3-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूची में से उनके नियंत्रणाधीन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य यथा अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन/निलम्बन की कार्यवाही उनके संज्ञान में हो, तो ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने से पूर्व शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
7. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव